52/25 चुन्नीलाल v/s कैलाशचन्द्र

27/3/25 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 23/6/25 को पेश हो।

आदेशिका रीडर

श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश [illegible] / [illegible] / 2006 / 42083 दिनांक 13/2/26 द्वारा [illegible] लगाकाई अधिनियम 1956 की धारा [illegible] उपखण्ड अधिकारी [illegible] खेत [illegible] की पत्रावलियां संबंधित होकर वाले [illegible] की वारसं पुनवाई तलब किया जाकर [illegible] पत्रावलियें [illegible] अधिनियम 1956 की धारा 216 [illegible] दिनांक 4/7/25 में [illegible] पत्रावलियों [illegible] पत्रावली वास्ते पुनवाई दिनांक 31/7/25 को पेश हो।

रीडर
सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

21/11/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 30/12/25 को पेश हो।

रीडर

2500
5.12.25
T.D.R बोरड़ी

30/12/25 पत्रावली पेश हुई। पार्टी अधिवक्ता उपस्थित। पार्टी अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर पारित पत्र को पढ़कर अंकित करते हुये। पारित पत्र के बाद पार्टी वारसों का निवेदन किया गया। पार्टी अधिवक्ता द्वारा नोट शीट का अवलोकन कर दी गई आदेशिका पर दिया गया। जिसे स्वीकार किया जाकर पार्टी को पत्र रवाना किया जावे।
निर्णय - शीट [illegible] सुनाया गया। पत्रावली प्रेषण सुनवाई रोजा रवाना दर्ज रोजनामचा करके बंद हो।

30/12/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा